उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1300/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(128)-2018

लखनऊः दिनांकः 12 जुलाई, 2018

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 67 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्द्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित माल या माल के वर्ग को (जिसे आगे उक्त माल कहा गया है) अधिसूचित करते है, जिसका निस्तारण, उचित अधिकारी द्वारा उक्त माल की विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति, समय अंतराल के साथ मूल्य में अवक्षयण, नियंत्रित भंडारण स्थान या अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन उसके अधिग्रहण के पश्चात् यथाशक्त शीघ्र किया जाएगा।

अनुसूची

(1)	लवण और आर्द्रताग्राही पदार्थ
(2)	कच्चे (आर्द और लवणीय) खाल और चर्म
(3)	समाचार पत्र और पत्रिकाएं
(4)	मेंथॉल, कपूर, केसर
(5)	बाल पॉइंट पेन के लिए रिफिल
(6)	लाइटर, ईंधन जिसके अंतर्गत रीफिल न हो सकने वाले गैस लाइटर प्रभावी पदार्थ भी हैं
(7)	सैल, बैटरी और रीचार्जेबल बैटरी
(8)	पेट्रोलियम उत्पाद
(9)	खतरनाक ओषधियां और मन:प्रभावी पदार्थ
(10)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के खंड-4 के अधीन आने वाली थोक औषधियां और रसायन
(11)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 30 के भीतर आने वाले औषधीय उत्पाद;
(12)	आतिशबाजी
(13)	लाल चंदन
(14)	चंदन की लकड़ी
(15)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 1 से 24 के भीतर आने वाले सभी कराधेय माल;
(16)	ऐसा सभी अदावाकृत/परित्यक्त माल जो प्रौधोगिकी में त्वरित परिवर्तन या नवीन मॉडलों आदि के कारण मूल्य में त्वरित अवक्षयण योग्य है।
(17)	उक्त अधिनियम की धारा 67 के अधीन उचित अधिकारी द्वारा अभिगृहीत कोई ऐसा माल जिसे उक्त अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (6) के अधीन अंनतिम रूप से निर्मोचित किया गया है किन्तु संबंधित व्यक्ति द्वारा, अनंतिम रूप से, निर्मोचन के लिए बंधपत्र के निष्पादन की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर निर्मोचन नहीं लिया गया था ।

2. यह अधिसूचना तारीख 13, जून, 2018 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव